

REVIEW OF TELEVISION AUDIENCE MEASUREMENT RATING SYSTEM IN INDIA

On 28th April 2020, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) issued its recommendations on "Review of Television Audience Measurement and Rating System in India".

Audience measurement implies measurement of what is being viewed. On the basis of audience measurement data, ratings are assigned to various programs on television. Television ratings in turn influence programs produced for the viewers.

MIS notified Policy Guidelines for Television Rating Agencies in India on 10th January 2014. Under these guidelines, the industry-led body BARC was accredited by MIB on 28th July 2015, to carry out the television ratings in India. BARC commenced its operations in 2015 and since then it is the sole provider of TV rating services on commercial basis.

Several concerns relating to neutrality and reliability of the existing rating system have been raised by stakeholders, which necessitated a need to review of existing Television Audience Measurement and Rating system in India.

Accordingly, TRAI suo-motu issued a consultation paper on "Review of Television Audience Measurement and Ratings in India" on 3rd December 2018 for seeking comments of stakeholders on the issues related to review of existing system. The last date for submission of the comments was 15th February 2019 and that of the counter-comments was 28th February 2019. TRAI received 23 comments and 3 counter-comments. All the comments and counter-comments are available on TRAI's website. Subsequently, Open House Discussions on the subject were held on 31st May 2019 at New Delhi and on 3rd July 2019 at Mumbai, to seek the views of the stakeholders on various issues.

After considering all comments received from stakeholders during consultation process and further analysis of the issues, the Authority has finalised its recommendations. The salient features of the recommendations are given below:



भारत में टेलीविजन दर्शक मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'भारत में टेलीविजन दर्शक मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा' पर 28 अप्रैल 2020 को सिफारिशें जारी की हैं।

दर्शक मापन से तात्पर्य है कि जो देखा जा रहा है उसका मापन। दर्शकों के माप डेटा के आधार पर, टेलीविजन पर विभिन्न कार्यक्रमों को रेटिंग दी जाती है। बदले में टेलीविजन रेटिंग, दर्शकों के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों को प्रभावित करता है।

एमआईएस ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए जनवरी 2014 में नीतिगत दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। इन दिशानिर्देशों के तहत, उद्योग की अगुवाई वाली संस्था बीएआरसी को 28 जुलाई 2015 को एमआईवी द्वारा भारत में टेलीविजन रेटिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए मान्यता दी गयी थी। बीएआरसी ने 2015 में अपने संचालन की शुरुआत की और तब से यह व्यावसायिक आधार पर टीवी रेटिंग सेवाओं का एकमात्र प्रदाता है।

मौजूदा रेटिंग प्रणाली की तटस्थता व विश्वनीयता से संबंधित कई चिंताओं को हितधारकों द्वारा उठाया गया है जिससे भारत में मौजूदा टेलीविजन दर्शक मापन और रेटिंग सिस्टम की समीक्षा की आवश्यकता हुई।

इसके अनुसार, ट्राई ने स्वप्रेरणा से मौजूदा प्रणाली की समीक्षा से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों की मांग के लिए 3 दिसंबर 2018 को 'भारत में टेलीविजन ऑडियंस मापन और रेटिंग की समीक्षा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2019 थी और जवाबी टिप्पणियां 28 फरवरी 2019 तक दिये जा सकते थे। ट्राई को 23 टिप्पणियां और 3 प्रतिउत्तर मिले। सभी टिप्पणियां व प्रतिउत्तर ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद, इस विषय पर ओपन हाउस चर्चाएं 31 मई 2019 को नयी दिल्ली में और 3 जुलाई 2019 को मुंबई में आयोजित की गयी, ताकि विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचारों को प्राप्त किया जाए।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और मुद्दों के आगे के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया। सिफारिशों की मुख्य विशेषताओं को नीचे दिया गया है:



TV MEASUREMENT

- (i) Structural reforms are required in the Governance structure of BARC to mitigate the potential risk of conflict of interest, Improve credibility, and bring transparency, and instill confidence of all stakeholders in the TRP measurement system.
- (ii) The composition of the Board of BARC India should be changed as part of the proposed structural reforms.
- (iii) The Board should have at least fifty percent independent members which should include one member as a measurement technology expert, one statistician of national repute from among the top institution(s) of the country and two representatives from the Government/Regulator.
- (iv) Restructured Board of BARC India should provide for equal representation of the three constituent Industry Associations, namely, AAI, ISA and IBF and with equal voting rights irrespective of their proportion of equity holding.
- (v) Tenure of the members of the board shall be for two years.
- (vi) Active participation of representatives of the Advertisers and the advertising agency will bring more accuracy, transparency, credibility, and neutrality in the system, due to their inherent need of advertisers to reach viewers accurately.
- (vii) The constituent Industry Associations shall be entitled to nominate their representatives to the board membership subject to the condition that a cooling period of 4 years shall be applicable between two consecutive tenures, for any such nominee member.
- (viii) Tenure of the Chairman of the Board should not be more than two years. Chairmanship of the Board shall be rotated among the constituent industry associations in every two years.
- (ix) Number of members in the technical committee should be increased to 5 with addition of two external technical experts.
- (x) An Oversight Committee should be formed to guide BARC India in the areas of research, design and analysis, constantly improving the rating system.
- (xi) The Oversight Committee should have representation from the National Council of Applied Economic Research, liM, liT, media research expert and demography expert, nominee from the Ministry of Information & Broadcasting, and TRAI.
- (xii) The Committee should also be responsible for nomination/ appointment of independent members of the Board as well as to give policy direction to BARC India, if it is so required.
- (i) हितों के संघर्ष के संभावित जोखिम को कम करने, पारदर्शिता में सुधार करने और पारदर्शिता लाने और टीआरपी माप प्रणाली में सभी हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए वीएआरसी की शासन संरचना में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
- (ii) वीएआरसी इंडिया के बोर्ड की संरचना को प्रस्तावित संरचनात्मक सुधारों के हिस्से के रूप में बदला जाना चाहिए।
- (iii) बोर्ड में कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए, जिसमें माप प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, देश के शीर्ष संस्थान (राष्ट्रीय) से एक राष्ट्रीय सांख्यिकीविद् और सरकार/नियामक से दो प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
- (iv) वीएआरसी इंडिया के पुनर्गठन बोर्ड को तीन घटक उद्योग संघों, अर्थात् एएएआई, आईएसए और आईवीएफ के समान प्रतिनिधित्व के लिए और इक्विटी होल्डिंग के अनुपात के बावजूद समान मतदान का अधिकार प्रदान करना चाहिए।
- (v) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।
- (vi) विज्ञापन एजेंसियों व विज्ञापनदाताओं के प्रतिनिधियों के सक्रिय भागीदारी, विज्ञापनदाताओं की अंतर्निहित आवश्यकता के कारण प्रणाली में अधिक सटीकता, पारदर्शिता, विश्वनीयता व तटस्थता लायेंगे, ताकि दर्शकों तक सही ढंग से पहुंच बनायी जा सके।
- (vii) निर्वाचक उद्योग संघ इस तरह के किसी भी नामित सदस्य के लिए, लगातार दो कार्यकालों के बीच 4 साल की कूलिंग अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों को नामित करने के हकदार होंगे।
- (viii) बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। बोर्ड की अध्यक्षता को प्रत्येक दो वर्षों में घटक उद्योग संघों के बीच घुमाया जायेगा।
- (ix) तकनीकी समिति में सदस्यों की संख्या दो बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बढ़ाकर 5 की जानी चाहिए।
- (x) अनुसंधान, डिजाइन और विश्लेषण के क्षेत्रों में वीएआरसी इंडिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक ओवरसाइट समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिससे रेटिंग प्रणाली में लगातार सुधार हो।
- (xi) ओवरसाइट कमेटी को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, आईआईएम, आईआईटी, मीडिया रिसर्च विशेषज्ञ और डेमोग्राफी एक्सपर्ट, सूचना व प्रसारण मंत्रालय व ट्राई से नामित होना चाहिए।
- (xii) समिति को बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों के नामांकन/नियुक्ति के साथ-साथ वीएआरसी इंडिया को नीति निर्देश देने के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए, यदि ऐसा हो तो।

- (xiii) To create credible and accurate collection of data, multiple data collection agencies need to be encouraged.
- (xiv) Competition and multiple agencies for data collection and processing would bring in new technologies, new research methodologies, new methods in analysis, new and better ways to ensure better data quality.
- (xv) BARC should be at an arm's length from its own subsidiary, Meterology Data Pvt Ltd., which is the sole data collecting agency for BARC, as of now; so that the entire process of measurement is carried out independently to ensure inherent checks in data inconsistency.
- (xvi) Efforts may be made to withhold the identity of the channel's name and number while collecting and processing the data from the field, to bring more transparency in the complete process.
- (xvii) BARC should also separate its functions in two units (a) one unit should be responsible for prescribing methodology of ratings/validation of data, publishing the data and audit mechanism and (b) the other unit for processing the data, watermarking or any other such technical work including management of data collection agencies.
- (xviii) Once multiple agencies come forward for rating, BARC should limit its role to publishing the ratings, and framing methodology and audit mechanism for the rating agencies, so that the number of agencies can develop multiple rating system leveraging new technologies.
- (xix) The rating agency should be mandated to increase the sample size from the existing 44,000 to 60,000 by the end of 2020, and 1,00,000 by the end of 2022 using the existing technology.
- (xx) BARC shall immediately conduct a study in collaboration with the Indian Statistical Institute or any other institute of repute, to estimate the appropriate sample size, and to get the correct representation of the viewership including regional and niche channels. Sample size once increased; it will make the data tampering an arduous exercise. On the basis of the study conducted, BARC should reach the target of reaching the sample size in a time-bound manner.
- (xxi) There should be some financial disincentives prescribed as penal provisions including the cancellation of registration, if the specified target is not met by BARC.
- (xxii) MIB should amend the DTH License and MSO
- (xiii) डेटा को विश्वनीय व सटीक संग्रह बनाने के लिए, कई डेटा संग्रह एजेंसियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- (xiv) डेटा संग्रह व प्रसंस्करण के लिए विभिन्न एजेंसियां व प्रतिस्पर्धा, नयी तकनीकी, नयी अनुसंधान विधियों, विश्लेषण में नये तरीकों, बेहतर डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नये और बेहतर तरीके लायेंगी।
- (xv) वीएआरसी को अपनी सहायक कंपनी, मीटरोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ काफी नजदीक होनी चाहिए, जो कि वीएआरसी के लिए एकमात्र डेटा संग्रह करने वाली एजेंसी है, जो अब तक है, ताकि डेटा असंगति में निहित जांच सुनिश्चित करने के लिए माप की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से की जाती है।
- (xvi) पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, क्षेत्र से डेटा एकत्र करने और संसाधित करने के दौरान चैनल के नाम और नंबर की पहचान रोकने का प्रयास किया जा सकता है।
- (xvii) वीएआरसी को अपने काम दो इकाइयों में बांटने चाहिए (ए) एक इकाई को रेटिंग की कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार होना चाहिए/डेटा की मान्यता, डेटा और ऑडिट तंत्र को प्रकाशित करना और (बी) डेटा को संसाधित करने के लिए दूसरी इकाई, वॉटरमार्किंग या डेटा संग्रह एजेंसियों के प्रबंधन सहित कोई भी अन्य ऐसे तकनीकी काम।
- (xviii) एक बार जब कई एजेंसियां रेटिंग के लिए आगे आती हैं, तो वीएआरसी को रेटिंग प्रकाशित करने के लिए अपनी भूमिका को सीमित करना चाहिए, और रेटिंग एजेंसियों के लिए कार्यप्रणाली और ऑडिटिंग तंत्र को तैयार करना चाहिए, ताकि एजेंसियों की संख्या नयी तकनीकों का लाभ उठाते हुए कई रेटिंग सिस्टम विकसित कर सकें।
- (xix) रेटिंग एजेंसी को 2020 के अंत तक नमूना आकार को मौजूदा 44,000 से बढ़ाकर 60,000 और मौजूदा तकनीकी का उपयोग करके 2022 के अंत तक 1,00,000 करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- (xx) वीएआरसी को तत्काल भारतीय सांख्यिकी संस्थान या किसी अन्य संस्थान के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए, ताकि उचित नमूना आकार का अनुमान लगाया जा सके, और क्षेत्रीय व विशिष्ट चैनलों सहित दर्शकों की सही प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके। एक बार नमूने आकार में वृद्धि के बाद यह डेटा में किसी प्रकार के छेड़छाड़ को कठिन अभ्यास बना देगी। किये गये अध्ययन के आधार पर, वीएआरसी को समय-सीमा में नमूना आकार तक पहुंचने के लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए।
- (xxi) यदि वीएआरसी द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है तो कुछ वित्तीय निरोधकों को दंड के प्रावधानों के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें पंजीकरण रद्द करना भी शामिल है।
- (xxii) एमआईवी को डीटीएच लाइसेंस व एमएसओ पंजीकरण में संशोधन



TV MEASUREMENT

registration so as to mandate STBs capable of transferring viewership data and adoption of RPD technology. This transfer of data can be done by establishing a return path/ connection from STB to the remote servers of the Audience Measurement agency.

- (xxiii) Anonymized viewership data should be transferred electronically to the Audience Measurement agency for statistical analysis and Television Rating purpose. No data from any STB should be transferred to Rating agency without explicit consent from the subscribers.
- (xxiv) DPOs should be allowed to mutually negotiate the terms and conditions for sharing the data with Measurement Rating agency within the overall framework prescribed by TRAI from time to time. Such framework shall be prescribed by TRAI once these recommendations are accepted by MIB.
- (xxv) BARC should keep all relevant data such as original data {meter-level data} arising out of the household panel, the data deleted/ignored/not considered for ratings and the resultant processed data for TRP rating at least for one year in the same format and pattern as in the final ratings, declared to the subscribers including Broadcasters, advertising agencies, and advertisers.
- (xxvi) BARC should review /frame its outlier policy based on scientific study and market survey conducted from time to time. BARC should automate data processing in such a manner that no manual intervention is required before the final TRP rating is released. Any type of manual intervention in the meter level I raw data arising out of household panel must be avoided. Manual intervention, if any, in abnormal circumstances should be reported and informed to the auditors also.
- (xxvii) Adequate framework for grievance redressal may be made having nodal officers and Appellate body.
- (xxviii) BARC should get annual audit conducted by an independent agency to ensure conformance with TRP rating methodology, Sample size, and grievance redressal methodology and publish audit report on their website after board approval within three months after end of the financial year.

The full text of recommendations is available on TRAI's website www.traigov.in.

For any clarification & information, contact Shri Arvind Kumar, Advisor (B&CS) at Tel. No.: +91-11-23220209, Fax: +91-11-23230056. ■

करना चाहिए ताकि दर्शकों के डेटा को स्थानांतरित करने में सक्षम एसटीबी को अनिवार्य किया जा सके और आरपीडी तकनीकी को अपनाया जा सके। डेटा का यह स्थानांतरण एसटीबी से दर्शक मापन एजेंसी के दूरस्थ सर्वरों में रिटर्न पॉथ/कनेक्शन स्थापित करके किया जा सकता है।

- (xxiii) वेनामी दर्शकसंख्या आंकड़े को सांख्यिकीय विश्लेषण और टेलीविजन रेटिंग उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑडियंस मापन एजेंसी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी भी एसटीबी से कोई भी डेटा सब्सक्राइबर से स्पष्ट सहमति के बिना रेटिंग एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
- (xxiv) डीपीओ को समय-समय पर ट्राई द्वारा निर्धारित समग्र रूपरेखा के भीतर मापन रेटिंग एजेंसी के साथ डेटा साझा करने के लिए नियम और शर्तों को पारस्परिक रूप से बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एमआईवी द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के बाद ट्राई द्वारा इस तरह की रूपरेखा निर्धारित की जायेगी।
- (xxv) वीएआरसी को सभी प्रासांगिक डेटा जैसे घरेलू पैनल से उत्पन्न होने वाले मूल डेटा (मीटर लेवल डेटा), प्रसारकों, विज्ञापन एजेंसियों व विज्ञापनदाताओं सहित ग्राहकों के लिए घोषित अंतिम रेटिंग्स के समान ही प्रारूप और पैटर्न में टीआरपी रेटिंग के लिए डिलीट/नजरअंदाज किया गया/नहीं माने गये डेटा को कम से कम एक वर्ष के लिए संसाधित करने की आवश्यकता है।
- (xxvi) वीएआरसी को समय-समय पर किये गये वैज्ञानिक अध्ययन और बाजार सर्वेक्षण के आधार पर इसकी बाहरी नीति की समीक्षा/रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। वीएआरसी को डेटा प्रोसेसिंग को इस तरह से स्वचालित करना चाहिए कि अंतिम टीआरपी रेटिंग के जारी होने से पहले कोई मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो। घरेलू पैनल से उत्पन्न होने वाले कच्चे डेटा/मीटर लेवल में किसी भी तरह के मैनुअल हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। मैनुअल हस्तक्षेप, यदि कोई हो, असामान्य परिस्थितियों में सूचित किया जाना चाहिए और ऑडिटों को भी सूचित किया जाना चाहिए।
- (xxvii) नोडल अधिकारी और अपीलिय निकाय के रूप में शिकायत निवारण के लिए पर्याप्त ढांचा बनाया जा सकता है।
- (xxviii) वीएआरसी को एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा टीआरपी रेटिंग पद्धति, नमूना आकार और शिकायत निवारण पद्धति के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीने के भीतर बोर्ड की मंजूरी के बाद अपनी वेबसाइट पर ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए वार्षिक ऑडिट करवाना चाहिए। सिफारिशों का पूरा लेख ट्राई के वेबसाइट www.traigov.in पर उपलब्ध है।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बी&सी) से टेली.नं. +91-11-23220209, फैक्स: +91-11-23230056 से संपर्क किया जा सकता है। ■